suggested some alterations. What I am saying is this I don't know whether the alteration has been made or not. The decision of the Business Advisory Committee should be reported to us

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Tomorrow.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Let it be reported to us tomorrow.

श्री ईश दत्त यादव: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनिट लूंगा। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि बी०ए०सी० का जो निर्णय हुआ है, उसके खिलाफ हम यहां कोई निर्णय लें। यद्यपि हाऊस सुप्रीम है और वह कोई भी निर्णय कर सकता है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध होगा माननीय सभापति जी से कि इस पर पुनः विचार किया जाए क्योंकि यह अकलियतों की भावनाओं का सवाल है। मान्यवर, ऐसा है कि बृहस्पतिवार 4 तारीख को इनका बकरीद का त्यौहार है जिसे कि देश के कोने-कोने से लोग मनाते हैं। मुझे यह जानकारी है कि इस त्यौहार को दो दिन तक ये लोग मनाते हैं।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): तीन दिन।

श्री ईश दत्त यादव: तीन दिन मनाते हैं। अब देश के कोने-कोने में लोग जाएंगे। कोई बंगाल में जाएगा और हमारे बड़े भाई मसूद साहब बैठे हैं जोकि 32 घंटे में अपने घर से दिल्ली पहुंचते हैं तो आप बताएं कि वह जाकर. आप बताएं कि बकरीद त्यौहार यह 11 तारीख को वहां मनाते हैं तो 12 तारीख को यहां कैसे आ पाएंगे? यह एक व्यावहारिक कठिनाई है और चूंकि इसका सवाल अकलियत की भावनाओं से भी जुड़ा है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी इस पर पुनः विचार करें। एक दिन की कटौती कर देने में कोई हानि हमें प्रतीत नहीं होती।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On points arising out of answer given in the Rajya Sabha on the 24th April, 1995, to Starred Question 281 and Starred Question 291 Regarding production and Demand of sugar and stock position of sugar and edible oils with FCI.

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) Mr Vice-Chairman, Sir, this half-an-hour discussion arises out of Starred Question No. 97 which was replied on the 20th March, 1995 and the hon. Chairman desired that it should be deferred because the answers given to the supplementaries were not to his satisfaction. It was not taken up on April 29th because the House adjourned. Why was it deferred? It was deferred because the replies were inadequate. I am very distressed and regret it particularly because the hon. Minister happens to be Mr. Ajit Singh, who has a good educational background and who was in the habit of reading a lot. It so happens that when a person becomes a politician and particularly when he becomes a Minister, his reading habit gets adversely affected. This was brought out very clearly when he replied to the question. From his reply it was very clear that he had not read the Gian Prakash Committee Report. The Report was debated in both the Houses. It was discussed on 19th December, 1994 and 20th December, 1994. There was a statement by the Prime Minister and there was also a statement by the Minister of State in the Prime Minister's Office. It was very clear. Had he looked into them, perhaps, his reply would have been different. I have the transcripts here The hon. Chairman was distressed to say that the Minister should have come to the House more prepared. At least, his officials could have given him more data. I am sure he has come prepared to the House today. He must have read the Report and the other debates. Unlike the Minister, we MPs have a lot of time on our hands and I spend my time in the library reading the entire Report and the debates in both the houses. I am grateful to the hon. Minister for having informed me that the Report was available in the Library. I went through it and I also went through the debate that took place in the Lok Sabha. Now what was the matter? There were three aspects to the question and they were not answered. Question (d), (e) and (f) remained unanswered. Question (d) was: "whether Government

he examined the recommendations of the Gian Prakash Committee Report on sugar import scandal: if so, what are the details thereof; what has been the extent of loss caused to the exchequer due to non-coordination of Government departments resulting in delay in the import of sugar and rise in its prices." This was not replied. The second part was about the action that was taken against each of the persons in various Ministries found responsible for the loses. No reply was given. The third part of the question was about checking the recurrence of such a situation in future. The reply that was given was "the Cabinet Secretary's Report has since been submitted." Now let us look at this aspect. Appendices No. III and No. V of the Gian Prakash Committee Report clearly mention about the ruling prices in London in December, 1993, in January, 1994 in February, 1994 and subsequent months. When the recommendation was made, the Ministry was aware of the shortage of sugar and also the likelihood of imports. A graph has been given in Appendix No. V. If you look at it, it shows that the prices ranged between 270 and 280 dollars per metric tonne in London. Even the prices of future purchase, that is May, June, July and August, have been given here in the Report. They were 288, 285 and 284 dollars. When we purchased, the price was around 380 or even 400 dollars. It is very difficult for me to accept the answer that it was not possible to calculate the loss suffered. With the whole of the Government apparatus at its disposal, it should have been easy to calculate the tonnage that was imported and the difference in terms of dollars per tonne. It should have been easy to calculate the loss to the exchequer and to the people of India.

That was one point which was not given.

Then, if you look at the recurrence part, chapter 7 of the recommendations, is very clear. Chapter 7 has the details of various recommendations made and those recommendations are very clear. This was submitted in October 1994. On 19th December 1994, the hon. Prime Minister said that within a week decision would be taken and this was his commitment. It was mentioned in this House here in the Minister of State for Parliamentary Affairs' report that by the 31st of December, 1994, the Cabinet secretary would given his report. If it is given on 31.12.1994, how is it that given in May, after four months, the hon. Minister is not in a position to say as to what action was being taken or would be taken with regard to preventing such recurrences? That was the second point.

But then, on the same day, on the 8th of May, in reply to Starred Question No. 476, the hon. Minister, Shri Ajit Singh, has replied, "With a view of ensure adequate availability of sugar, the State Trading Corporation of India Ltd. and the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. have entered into forward contracts for import of about 4.05 lakh tonnes a sugar". Why am I reading it? It is because today's "Economic Times", on page 3, says that the situation again in likely to be what it was in December 1993, January 1994 and February 1994, as if we have learnt no lessons from this extraordinary sugar scam that took place at a great cost to the country. Mr. Gian Prakash has written in his report if this was allowed to go on, sugar would have been sold at Rs. 20 per Kg. I can indicate the page on which it is there. But I will read from "The Economic Times" of today only three sentences. "A decision on the issue of sugar imports this year to cancel, retain or roll over has been referred to the Prime Minister in the absence of an agreement amongst the various Ministries". Then, it says, "As regards imports, sources said that the recent meeting of the Cabinet Committee on Prices"—the same Committee which met in December 1993, January 1994 and was supposed to meet in February 1994, but did not

meet—"ended indecisively when the Ministers of relevant Ministries could not agree on the course of action. However, they added that the time was running out for a decision on rolling over the imports, etc

The purpose of my reading this is that despite the terrible experience that the country had because of various mistakes over which tremendous uproar took place, both in the Houses of Parliament and outside, and into which an administrative inquiry was conducted and reports came—and that report is again studied by the Cabinet Secretary and the other Secretaries, who submitted a report on 31st December, 1994—we have not learnt any lessons. So, will the hon. Minister kindly enlighten us as to, in the five months after that, what action has been taken? Are we going to just sleep over it or are we going to learn any lessons? Have you acted on any specific or concrete suggestions made by the Gian Prakash Committee.

If so, how are you going to go about it?

I would also draw your attention to the fact that on 19.12.1994, the Prime Minister is reported to have said, "I will take the final decision within a week. This is my commitment". He repeated it, "I am assuring that I will take a decision within one week. This is my commitment". Would the hon. Minister enlighten this House as to refer 19.12.1994 one week was over on 26.12.1994, that is just after the Christmas—what decisions were taken based on this report? The House is entitled to know that and the House will be grateful to you if you do that.

Let me come to the last aspect and that is with regard to action against those responsible. What is the reply of the hon. Minister? It is a very interesting reply, the supplementaries on which created problems. "While the administrative implications for this have been gone into. the report does not mention any matter that would create any suspicion of malafides on the part of any one".

Now, this is where we had a little problem and from where, as the hon. Minister replied which is on page 46 of the 20th March reply, the Gian Prakash Committee was asked to look into certain things as to what went wrong and he says that the Gian Prakash Committee has said, as the Prime Minister also replied to the debate, "There was no mala fide in it "

Now I want to draw the attention of the hon. Minister to the fact that, though he was not a Minister on that day—on 19th and 20th December, in the Lok Sabha, of which the hon. Minister was a Member, there were discussions for nearly six to eight hours and thereafter in both the Houses—and I refer to my House now,—the Minister of State in the PMO made a statement which is there in the Rajya Sabha debates pages 873—875 of that date and I will just read two sentences of that. Shri Bhuvnesh Chaturvedi said, "At the outset, I have to make it clear that Shri Gian Prakash had conducted a preliminary administrative inquiry and he has not investigated any question regarding lack of integrity on the part of any individual. He has look into the acts of omission and commission while dealing with certain situations." Then, at the end, before he finished his speech, the Minister says, "The Report, as has been stated earlier, does not investigate any issues of loss or lack of integrity." Now, if this is so, how come the hon. Minister makes a statement that the Gian Prakash Report does not find any mala fides. I think, I should go a little further.

Let us look right in the beginning: Mr. Gian Prakash in Chapter I said the following, which I am going to read out. I am quoting from page 4, Chapter 1 of Gian Prakash Report:

> "It is not my duty to look into the allegations of corruption, nor am

I an investigating agency to invetigate other such charges."

Mr. Ajit Singh, it was quoted in this House on 19th December and it is in the debates. "My inquiry relates only to acts of omission and commission." So, if this is so, who is going to look into the charges of allegations of corruption? Even in his preliminary remarks, the learned Mr. Gian Prakash speaks about a Scandal and the public outcry, etc., which right now I am not referring to . If that is so, how can one; come to a conclusion that there are no such allegations and nothing has to be done? I think the Government owes it to the House. Hon. Minister, the Government owes it not only to this House but also to the people of India to tell what it has done. When such a major scandal took place, when the Gian Prakash Committee was appointed, I remember in this very House there was a tremendous uproar for several days and it was assured that it would be gone into the whoever was guilty would be punished. Now, all the reports are before us. We are faced with a kind of situation as if nobody was guilty, there was nothing wrong! That is where I would like to refer to and—it was referred to in this House—paragraph 6.5, Chapter 6, and I quoting it again. "It is thus clear that by opposing imports in every forum and showing the least concern when prices were rising rapidly by reducing releases at a crucial time and above all by ill—considered statements issued from time to time justifying rise in prices with a view to make the sugar industry more parofitable." "With a view to make the sugar industry more profitable..."—it was the Food Minister who was entirely responsible for the sugar crisis. "It was lucky that in spite of several attempts to do so, the Food Minister did not succeed in cutting on the PDS quota, otherwise sugar would have been selling at Rs. 20/- per kilogram."

He also should help....(*Interruptions*)...

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Sir, I rise on a point of order. May I ask the hon. Member, from where is he quoting all these? If he is quoting from the Gian Prakash Report, that is not tabled in this House. It was kept in the Library and it was also decided that one can just refer to it. You cannot make quotations out of it.

SHRI VIREN J. SHAH: Why not? I would request the hon. Member to refer to the debate in this House on the 19th December when this very quotation was there in the proceedings of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOUR): You mean to refer to the debate and not the report?... (*Interruptions*)...

SHRI VIREN J. SHAH: This quotation is on page 882 of the proceedings. It was allowed by the Deputy Chairman who was in the Chair. This had been allowed in the other House also. The report had been referred to in that House. It had been referred to in the House by the hon. Prime Minister, by the Minister of State in the Prime Minister's Office and it was referred to by another hon. Minister who said, "Please go and read it in the Library." So, I read it in the Library and I am only bringing out what I read in the Library. I am not specifically quoting it. I would say that the para 6.11 of the Report is supposed to have held the Ministry of Commerce and the STC specifically responsible "for inexplicable reluctance on their part. It is clear and it is also an indication of the professional incompetence..." There were the words used. If that is so, then how the hon. Minister can give a clean chit to everybody connected with that that nothing has happened.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude.

SHRI VIREN J. SHAH: So, these were the three points to which I would request the hon. Minister to answer and work out the extent of loss. A man of his

calibre does not need any official assistance which is available. With his competence and his knowledge of computers and also the work done, this is the simplest thing to work out. You do not need any computers. You have to just calculate. You do not need even a calculator.

The second point would be about the action against those responsible which has been brought out in the Report. The Report is a public property because it is in the Library. It is not something that no one would know what it is. That was an effort here but fortunately it was not a successful effort.

The third is about the recurrence. Now, the hon. Minister should be in a position to say something on the report of the Cabinet Secretary on the Report of the Gian Prakash Committee in relation to what action should be taken. The Cabinet Secretary gave the report on the 31st December. Is he in a position to tell the House that such and such are the action that is now being planned to see that it does not recur and the news that has appeared in today's "The Economic Times" does not happen. It ends by saying, and I just read that, "..the question inevitably would then come around the cancellation of imports or resale abroad. Given the way the international prices are behaving, this would mean selling at a loss and the whole can of worms would open up again." Thank you.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 281 और प्रश्न संख्या 291, 24 अप्रैल को जिनका उत्तर दिया जाना था, उनसे यह आज का प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं इन दोनों प्रश्नों के संदर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहले मैं प्रश्न संख्या 291 के संबंध में कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद प्रश्न संख्या 281 से संबंधित जो चीजें उभर कर आई हैं और जिनका कुछ उल्लेख मेरे से पूर्व वक्ता ने किया है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न में यह पूछा था कि कितना फूड स्टॉक है? कितने अनाज का भंडार है जो खुले में पड़ा है एफ॰सी॰आई॰ के पास और इसका उत्तर हमें दिया गया था "As on 31st December, 1994, stocks of 40.9 lakh tonnes of foodgrains had been kept in open in the FCI. This does no include the paddy stock stored in the rice mills' yards for milling into rice, especially in Punjab."

अब ये 31 दिसम्बर, 1994 के बाद तो अभी नई फसल आई है और फसल की खरीददारी चल रही है। इस फसल के लिए एफ॰सी॰आई॰ के पास रखने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि अभी आपका 40-41 लाख टन के करीब अनाज तो खुले में पहले से ही पड़ा है। अगर स्थान नहीं है तो क्या इसका अर्थ हम यह लगाएं कि आप अनाज की खरीददारी को रोकेंगे? क्योंकि आपके पास रखने के लिए स्थान नहीं है। अगर आप उसे लेंगे तो आप फिर से उसे खुले में रखेंगे। इस तरह से अनाज का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक तरफ देश में लोग भूखों मर रहे हैं, एक तरफ पी॰डी॰एस॰ के पास अनाज नहीं है और दूसरी तरफ अनाज के भंडार आप खुले में रखे हुए हैं, अनाज रखने के लिए आपके पास स्थान नहीं है। इससे सवाल यह पैदा होता है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप हमें बतायें कि अनाज की खरीद में और उसके वितरण में जो खर्चा लगता है, उसकी क्या परिस्थिति है। तो उसका जो जवाब आया वह एक बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति की तरफ ध्यान दिलाता है। आपकी जो एकानामिक कास्ट है, उसका उत्तर भी हमें पहले ही मिल चुका है कि सरकार किस रूप में अनाज खरीदती है और किस रूप में उसका वितरण करती है। इसी सदन में 20 मार्च, 1995 में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री जी ने बताया था कि अनाज की खरीद 1995-96 में गेहूं के दाम 355.84 रुपये प्रति क्विंटल है और इसमें प्रोक्योरमेंट के लिए इंसीडेंटल 101.76 रुपए है तथा डिस्ट्रिब्यूशन कास्ट 118.40 रुपये है। इस तरह से 576 रुपये इस अनाज के दाम हो जाते हैं। चावल में भी यही चीज है और उसके दाम 748 रुपये है। आप इस तरह गेहूं में 219-220 रुपया हैंडलिंग चार्ज दे रहे हैं और बड़ी मात्रा में अनाज खुले में पड़ा हुआ है। इस तरह से कैसे आप पी॰डी॰एस॰ को सुधारेंगे, आप कैसे अनाज वितरण के कार्य को सुधारेंगे? आप अनाज का मूल्य बहुत बढ़ा रहे हैं। अगर 355.84 रुपया, आपका मूल कास्ट आफ ग्रेन है, तो इसी के आसपास यह बाजार में मिलना चाहिए। आप इसको खरीदकर इसका भंडारण कर रहे हैं और

खुले में आप इस अनाज को रखे हुए हैं। इसके बाद आपका कास्ट 576 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं में आता है और चावल में 748 रुपये प्रति क्विंटल आता है। यह कैसे अर्थव्यवस्था है अनाज के मामले में यह हम नहीं समझ पाए हैं।

इसके अलावा आप कहते हैं हमारे पास अनाज बहुत भरा हुआ है, हमारे पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एफ०सी०आई० के हैंडलिंग चार्जेज कैसे कम करेंगे ताकि पी०डी०एस० की जो यूनिट्स हैं उसमें अनाज के दाम ठीक हो सकें और देश को बड़े भारी नुकसान से बचाया जा सके? क्या आप इस बारे में कोई नीति निर्धारित करेंगे जिससे अनाज का भंडारण वहीं हो सके जहां वह पैदा होता है। गांवों में जहां अनाज उत्पन्न होता है, बेहतर होगा कि वहीं पर अनाज के भंडार की आप व्यवस्था करवायें, इससे किसान इसको रख सकेंगे और अनाज भी बेकार नहीं जाएगा। यदि हैंडलिंग कास्ट प्रति क्विंटल 219-220 रुपये आ रही है तो ऐसा करके इससे बच सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

कास्ट आफ एडीबल आयल के बारे में यही स्थिति है। इसके दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। आपके उत्तर को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि एडिबल आयल के दाम किस तरह से निरन्तर बढ़ रहे हैं। 1991-92 में 1 मीट्रिक टन का दाम, जो आपकी इश्यू प्राइस है वह 14500 रुपये प्रति टन था, जो आज बढ़कर 27 हजार रुपये प्रति टन हो गया है। मस्टर्ड आयल का आप भंडारण नहीं करते हैं लेकिन मस्टर्ड आयल के दाम भी बेहताशा बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आपकी क्या नीति है? इसका आम आदमी के जीवन से सीधा संबंध है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? अनाज और आयल यह आम आदमी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं लेकिन इनके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चीनी के मामले में स्थिति बड़ी विचित्र है। 1990-91 में आपकी एस-30 लेवी की चीनी के लिः औसत अखिल भारतीय मूल्य 523 रुपये था जो कि 1993-94 में बढ़कर 700.92 पैसे हो गया है। उस समय आपके डिस्ट्रिब्यूशन का दाम 9.5 पैसे प्रति किलो था। हम देख रहे हैं कि 1990-91 में आपकी लेवी चीनी के दाम 523 रुपये थे लेकिन खुदरा निर्गम 5.25 पैसे यानी 525 रुपया था। सिर्फ 2 रुपये प्रति दाम आप लेवी चीनी के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन पर करते थे। लेवी चीनी और एक्स फैक्ट्री प्राइस में केवल 2 रुपये का फर्क था। आज यह 700 से 905 रुपये अर्थात् 205 रुपये का फर्क हो गया है। यह जो सवाल है दो रुपये प्रति किलो आपने बढ़ा दिया, इसका अर्थ है कि चीनी के वितरण में भी आपकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, वह बहुत बड़ी मात्रा में मेंटेनेंस कास्ट चार्ज कर रही हैं, हैंडलिंग कास्ट चार्ज कर रही हैं। इस तरह से पूरा परपज़ डिफीट हो रहा है। वह सारा मतलब कि आप लेवी चीनी लोगों को दे सकें, गरीब आदमी को सस्ती चीनी उपलब्ध करा सके इस तमाम आपकी प्राइसिंग पालिसी से पता लगता है कि आपको गरीब का ध्यान ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपने सब्सिडी दी है, आज सुबह ही मंत्री महोदय ने बताया था कि 5200 करोड़ रुपये सब्सिडी का दे रहे हैं खाद्यान्नों पर और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर। उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो आप केवल एफ०सी०आई० को हैंडलिंग चार्जेज़ का दे रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यह सब्सिडी दे रहे हैं, उसका इतना बड़ा कंपोनेंट हैंडलिंग चार्जेज़ में जा रहा है। आप किसानों को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, गरीब आदमी को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, यह सब्सिडी आप एफ०सी०आई० की मिसमेनेजमेंट के लिए दे रहे हैं।

It is not subsidy, it is mismanagement cost.

अब मैं चीनी के प्रश्न की तरफ आता हूं जिसका उल्लेख अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने किया था। ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में इस चीनी के संबंध में जो बातें कही थीं उन पर इसी सदन में मंत्री महोदय ने बयान दिया था, उसे मैं पढ़ रहा हूं। वह यह कहते हैं कि—

The gist of the causes identified by the Gian Prakash Committee as leading to the situation are:—

(i) Unreliable and inflated estimates of sugar production.

(ii) Mismanagement of available surplus stock and releases.

(iii) Delay in the decision to import sugar.

(iv) Delay in implementation of this decision.

(v) Poor coordination

यह तो उन्होंने काज़ेज़ आइडेंटीफाई किये हैं। मैं करप्शन वाले हिस्से में जा ही नहीं रहा हूं वह तो दुनियां भर को मालूम है। उसके बारे में कुछ कहना तो पुनरावृत्ति होगी

लेकिन यह चार कारण मंत्री महोदय श्री चतुर्वेदी ने इसी सदन में बताए थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन चारों कारणों को आप कैसे दूर कर रहे हैं? पांचवां कारण बताया था—पूअर कोआर्डिनेशन। आज के इस अखबार की खबर से साफ ज़ाहिर है कि अभी तक इसके बारे में फैसला नहीं हो पा रहा है कि इम्पोर्ट कैसे होगा और कौन करेगा और प्रधान मंत्री के ऊपर आप निर्णय छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। उन्होंने रिकमेंडेशन की है जो आगे के लिए लागू होंगी, वह भी मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

(i) An integrated policy on sweetnears — sugar, gur and Khandsari.

मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पालिसी क्या है, आपने कौन सी इंटेग्रेटेड पालिसी बनाई है?

(ii) Maintenance of buffer stocks of sugar.

इसके बारे में आपकी क्या नीति है? कितना बफर स्टॉक है, कैसे रखेंगे? फिर कहते हैं—

(iii) Uses of scientific forecasting and estimation methods.

अखबार की खबर यह कहती है कि फिर से गड़बड़ हो सकती है। इस्टीमेंट कैसे किया जा रहा है शुगर प्रोडक्शन के बारे में। कौन सा साइंटिफिक तरीका आप रखेंगे क्योंकि इसका अर्थ तो यह है कि 1994 तक कोई साइंटिफिक मेथड था ही नहीं। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है—

(iv) A common Ministry with Civil Supplies and Food as separate departments.

क्या यह मिनिस्ट्री बन गई है? इससे यह इम्पोर्ट के झगड़े और प्रोजेक्शंस के झगड़े बंद हो जाएंगे, यह इनका कहना है। (व्यवधान)

श्री वीरेन जे० शाह: इससे तो इनका एक केबीनेट मिनिस्टर कम हो जाएगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हो जाने दीजिये। कोई बात नहीं। उसके लिए कोई दूसरी मिनिस्ट्री बनवा देंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं क्या इसके बारे में आपने फैसला कर लिया है कि इम्पोर्ट के विषय पर कौन फैसला करेगा। क्या यह कामर्स मिनिस्ट्री करेगी या फूड और कन्ज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री करेगी? कौन इम्पोर्ट करेगा, इसका फैसला क्यूं नहीं हुआ। अगर आपको इम्पोर्ट की जरूरत नहीं है तो आप यह कह दीजिये कि आगे से हिन्दुस्तान में शुगर इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। यह नीति बदल गई है और इम्पोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या आप ऐसा आने वाले भविष्य के लिए हम को आश्वासन दे सकते हैं वरन् यह फैसला आपको करना पड़ेगा। अगर आप फैसला नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप भ्रष्टाचार को भी जारी रखना चाहते हैं, आप मूल्य वृद्धि को भी जारी रखना चाहते हैं। पिछली बार तो चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम गया या नहीं गया लेकिन भगवान के वास्ते ऐसा मत कीजिये कि चीनी का मूल्य 20 रुपये किलो हो जाए और गेहूं और चावल का दाम भी 20 रुपये किलो की तरफ न बढ़ने लग जाए। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अनाज, खाने के तेल और चीनी यह बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन का बार-बार ध्यान आकृष्ट कराने पर, मंत्रालयों का बार-बार ध्यान आकृष्ट कराने पर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार-बार इस सदन को आश्वासन दिये जाने के बाद और आपके द्वारा बार-बार यह कहे जाने के बाद कि यह परिस्थितियां आप ठीक करेंगे। मुझे आपसे यह कहना है कि आप स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जरा ध्यान करें। वे इन सब मामलों में गरीब आदमी के लिए हमेशा ध्यान किया करते थे। वे इन बातों पर बहुत ज्यादा चिंतित रहा करते थे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उन्हीं की तरह चिंता व्यक्त करेंगे और गन्ना किसानों, अनाज पैदा करने वाले किसानों, तेल बीज पैदा करने वाले किसानों की तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप गरीब आदमियों के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कर पाएंगे। इन सब तमाम विभागों में भ्रष्टाचार और जिस प्रकार की मेन्टिनेंस कास्ट बढ़ रही है, हैंडलिंग कास्ट बढ़ रही है, जो फिजूलखर्ची बढ़ रही है इनकी तरफ आप ध्यान देंगे। सरकारी घाटे को भी बचाएंगे। कीमतों को भी रोकेंगे। इस संबंध में अगर कोई मंत्रालय ने नीतियां बनाई हों तो हम उनका खुलासा जानना चाहेंगे। धन्यवाद।

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): माननीय सभापति जी, शाह साहब और जोशी जी ने जो सवाल उठाए हैं मैं उनका जवाब दूंगा और आशा करता हूं कि शाह जी को वह परेशानी नहीं होगी जो उनको पिछली बार हुई थी कि उनके सवालों का जवाब नहीं मिल सका। पढ़ने की

आदत मैंने छोड़ी नहीं है। आप कभी मिलेंगे तो उसका कारण मैं आपको बता दूंगा जो उस दिन हुआ।

बहुत से सवाल वीरन शाह जी ने उठाए हैं। अगर उन्होंने लाइब्रेरी में वह रिपोर्ट पढ़ ली है तो मुझसे जवाब मांगने की उनको जरूरत नहीं रहती है। अगर मैं कैलकुलेटर से लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं तो मुझे विश्वास है कि वीरन शाह जी भी उतने ही अच्छी तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और देखिए...

श्री वीरेन जे॰ शाह: मुझे सरकारी जवाब चाहिए।

श्री अजीत सिंह: जहां तक आंकड़ों का सवाल है वह चाहे आपका सवाल हो या हमारा जवाब, रिजल्ट तो एक ही आना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपको लॉस मालूम है। लेकिन सवाल यह उठता है जब आप कमोडिटी ट्रेडिंग में कोई चीज इम्पोर्ट करते हैं और शुगर जैसी वोलेटाइल चीज तो यह कहना कि अगर हम इस तारीख को इम्पोर्ट करते तो ये प्राइसेज थे, अब 6 महीने के बाद ये प्राइसेज हो गए, इस साल इतना लॉस हुआ, अगर हम 3 महीने पहले कर लेते तो इतना लॉस कम होता, यह एक तरफ से नोशनल है क्योंकि आप जानते हैं कि जब कमोडिटी ट्रेडर्स को पता चलेगा कि हिन्दुस्तान शुगर इम्पोर्ट करने वाला है या कोई भी देश जैसे चाइना इम्पोर्ट करने वाला है तो वे प्राइसेज उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यह कहना कि यह लॉस था, यह शायद अपने को भ्रमित करना ही होगा। अगर हम इस टाइम यह कर लेते तो इतना लास न हुआ होता, अगर हम दिसम्बर के प्राइसेज से कम्पेयर करें तो 157 करोड़ लॉस था, अगर हम मार्च-अप्रैल की प्राइसेज से कम्पेयर करें तो साढ़े 42 करोड़ का लॉस था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह एक नोशनल लॉस ही है। कितना लास होता यह कहना मुश्किल है। अगर हम उस टाइम पर इम्पोर्ट कर लेते तो प्राइसेज उसी तरह रिएक्ट करती उस समय।

जहां तक सजेश्चन्स का सवाल है वे जोशी जी ने पढ़कर भी सुना दिए हैं हालांकि सिब्ते रजी साहब ने कहा था और जो भी यहां सदन में रिपोर्ट टेबुल पर ले नहीं हुई है उसको आप रेफर कर सकते हैं, कोट नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यह तो मंत्री महोदय के बयान से मैंने पढ़ा है। रिपोर्ट से नहीं पढ़ा है।

श्री वीरेन जे॰ शाह: मैंने जो डिप्टी चेयरमैन की हाजिरी में पढ़ा गया था, वह पढ़ा है। उन्होंने मंजूर किया है।

श्री अजीत सिंह: रेफर करना और उसमें एकाध शब्द बदल देना या कोट करना, इस मामले में जैसी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस वगैरह हैं शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बारे में कैबिनेट कमेटी बनी थी उन रिकमेंडेशंस के बारे में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मिनिस्टर्स के भी विचार उस पर आ गये हैं। अब कैबिनेट को उसमें डिसिजन लेना है।

जहां तक इंटेग्रेटेड पालिसी आफ स्वीटनर्स, शुगर, गुड़ और खांडसारी के बारे में तो सरकार की राय है कि कोई उसमें हम कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। सही बात तो यह है कि हमको बहुत आंकड़े भी इस बारे में प्राप्त नहीं हैं कि गुड़ और खांडसारी किस तरह से कहां-कहां कितनी पैदा होती है। यह हमको जरूर मालूम है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट गन्ना उस इंडस्ट्री में जाता है। लेकिन बहुत आंकड़े उसके बारे में नहीं हैं क्योंकि गुड़ और खांडसारी पर कभी कोई कंट्रोल नहीं रहा है। चीनी उद्योग के बारे में लाइसेंसिंग और डीलाइसेंसिंग की पालिसी के बारे में अभी निर्णय होना बाकी है। उसके बारे में शायद पिछली बार भी मैंने कहा था और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जी उससे आश्वस्त हैं। उसके बारे में मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं। यह सही है कि पिछले साल जो एस्टीमेट्स थे शुगर प्रोडक्शन के और उसके बाद जो इंपोर्ट करने के निर्णय थे उस वजह से दाम बढ़े। लेकिन यह कहना कि वह जो फोरकास्टिंग थी वह बिल्कुल गलत थी। अगर आप देखें तो आप पायेंगे कि वह 5-6-7 लाख टन का उसमें फर्क था जो अनुमान था और जितना वाकई में उत्पादन हुआ इसके बावजूद क्योंकि कमेटी ने कहा है कि साईंटिफिक मैथड हमको इस्तेमाल करना चाहिए, वह हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक इंटर मिनिस्टिरियल कमेटी भी बना दी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सिविल सप्लाइज, सी॰ए॰ फाइनेंस मिनिस्ट्री, पी॰डी॰एस॰ मिनिस्ट्री और खाद्य मंत्रालय तो उसमें होगा ही, वह इनको रेव्यू करेगा बार-बार कि प्रोडक्शन की क्या रिपोर्ट्स हैं और किस तरह क्या एस्टीमेट होना चाहिए। मिनिस्ट्री सिविल सप्लाईज़ और फूड अलग हों या एक हों, यह तो एक राजनैतिक निर्णय है, प्रधान मंत्री करते हैं और यह समय-समय पर बदलता रहा है। कभी मिनिस्ट्रीज़ एक हो जाती हैं और कभी अलग हो जाती हैं। अलग-अलग मिनिस्ट्री बारफरकेट होती रहती हैं, तो

इसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर कोआर्डिनेशन हो कि वह मिनिस्ट्री एक है या दो है। उन्होंने यह भी रेकमेंड किया है ओ०जी०एल० के द्वारा शूगर इंपोर्ट किया जाए यह ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट थी और वह सरकार ने मान ली है। शूगर ओ०जी०एल० पर अभी भी है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा वह सवाल जो वीरेन जे० शाह जी ने उठाया है मैलाफाइड के बारे में उसके पहले उन्होंने अखबार से पढ़ कर कुछ यह मान कर कि अखबार ने जो लिखा है वह सही लिखा है, उसके बारे में उन्होंने कुछ सवाल पूछ डाले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दिसम्बर में यह निर्णय किया गया था कि चीनी इंपोर्ट की जाए। किस एजेंसी द्वार की जाए, इसमें कहीं कोई अनिर्णय नहीं था, कोई उसमें आपस में मतभेद नहीं था। पांच लाख टन का निर्णय किया गया था, वै कंट्रैक्ट चार लाख टन का हो चुका है। अब उसको रोल ओवर किया जाए, डिले किया जाए, कैंसल किया जाए, आज अखबार में लिखा है ..(व्यवधान)

श्री वीरेन जे० शाह: आज इकोनोमिक टाइम्स में है।

श्री अजीत सिंह: इकोनोमिक टाइम्स में आपने कहा कि लिखा हुआ है। अभी तो शूगर प्रोडक्शन ..(व्यवधान)

श्री वीरेन जे० शाह: मैलाफाइड है ...(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह: अब वह अलग है, मैं बताऊंगा।

श्री वीरेन जे० शाह: देट इज़ ओनली विद दिस रिपोर्ट। ..(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह: उसमें जाने के पहले मैं आपने अखबार के बारे में जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब दे दूं। तो अभी प्रोडक्शन की हमारे पास फर्म फिगर्ज़ नहीं आई हैं कि इस साल में कितना प्रोडक्शन होगा और जो पिछले साल हुआ, जिसकी चिंता आप सब माननीय सदस्यों को है और हम सब को है। परिस्थिति वैसी न पैदा हो जाए इसीलिए यह डिसिज़न लिया गया था।

श्री वीरेन जे० शाह: आपने तो एस्टीमेट दिया है, 134 लाख का एस्टीमेट दिया है और इंटर्नल कंज़प्शन 117 लाख (व्यवधान)

श्री अजीत सिंह: एक तो आप लोग सवाल उठाते है कि हम लोगों के एस्टीमेट्स ठीक नहीं हैं।

श्री वीरेन जे० शाह: हम चाहते हैं कि फर्म प्रोडक्शन फिगर्ज़ आ जाएं। ..(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी: आप मान रहे हैं कि आपके एस्टीमेट गलत हैं ...(व्यवधान) इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप माने रहे हैं कि आपके एस्टीमेट गलत हैं।

श्री अजीत सिंह: आप यह सवाल उठा रहे हैं इसलिए फर्म प्रोडक्शन फिगर आ जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जब फर्म प्रोडक्शन फिगर आ जाएं तो हम कोई भी निर्णय इस बारे में ले सकते हैं। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि चीनी इस बार हिन्दुस्तान में कम नहीं होने वाली है। हम चाहे इंपोर्ट करें। चाहे प्रोडक्शन की फिगर्ज़ हों, लेकिन जो समस्या पिछले साल हुई थी वह समस्या इस बार नहीं होने वाली है। जहां तक कई सवाल लेवी शूगर वगैरह का उठाया कि पांच रुपये थी तब पांच रुपये ही लेवी शूगर का दाम था जब उसकी प्रोडक्शन कास्ट थी अब सात रुपये और नौ रुपये दाम हो गया, एक्स फैक्टरी प्राइस के अलाव उसमें एक्साइज़ ड्यूटी है, सैस है, उस समय सरकार ने तय नहीं किया कि उस टाइम कम करना है, रखना है उसको नहीं लेना है। इस समय भी जैसे पिछली बार जो लेवी शूगर की प्राइस को रिवाइज किए हुए काफी समय हो चुका है लेकिन अभी सरकार ने उसको बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है हालांकि एक्स फैक्टरी प्राइस बढ़ चुकी है। तो उसका आप यह निर्णय नहीं निकाल सकते उन फिगर्ज़ से क्योंकि उस समय कोई एक्स फैक्टरी प्राइस पर ही लेवी प्राइस मिल रही थी। इसलिए अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट हो गया है ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक्साइज़ ड्यूटी वगैरहे है, लैवी है, सैस है। तो उस समय सरकार ने तय किया कि इस समय वह जनता पर भार नहीं डालना चाहते और जैसे मैंने कहा इस बार भी जो लैवी प्राइस पिछली बार डिक्लेयर हुई थी उसको हमने अभी तक रिवाइज़ नहीं किया है। उसका यह मतलब नहीं है कि वही प्रोडक्शन कास्ट अभी उतनी ही है।

अब मैलाफाइड के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: प्रोडक्शन कास्ट तो 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपए हो गयी है ....(व्यवधान).... अब 7 रुपए तो इंक्लूड करता है उन तमाम चीजों में?

श्री अजीत सिंह: वह एक्स फैक्टरी प्राइस है। उसके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी है, उसके ऊपर सेस है। यह कास्ट उसके ऊपर है और जैसाकि मैंने कहा कि उस समय सरकार ने निर्णय लिया कि उनको नहीं रिकवर करेंगे और अभी भी मैंने कहा कि हम पूरी कास्ट अभी भी रिकवर नहीं करेंगे।

अब जहां तक "मैलाफाइड" का सवाल है, ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के तहत यह इंक्वायरी नहीं है और किसी स्पेसिफिक एलीगेशंस करप्शन वगैरह के बारे में वह कोई जांच नही कर रहे है और न ही वे इनवेस्टीगेटिव एजेंसी है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने का उनका चार्टर था और वह उन्होंने किया भी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने सभी फाइल्स देखी हैं, सभी लोगों से बातचीत की है और उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह सरकार का निर्णय है कि कोई मैलाफाइड सस्पीशन नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अब वीरेन जे० शाह जी को इस मामले में कोई तकलीफ नहीं होगी।

SHRI VIREN J. SHAH: Though I very much like to believe what you said, I am afraid, I find it extremely difficult to accept it.

SHRI AJIT SINGH: I will make a believer out of you. Come and talk to me.

SHRI VIREN J. SHAH: Take the House into confidence. Where is the question of talking to me?

श्री अजीत सिंह: हाउस का तो मैं कह चुका कि क्योंकि उन्होंने यह कहा था उनका सस्पीशन मैलाफाइड नहीं है। उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है। इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ...(व्यवधान)....

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): मंत्री जी उनका अर्थ तो स्पष्ट है।

श्री अजीत सिंह: जहां तक रिस्पांसिबिलिटी का सवाल है, आपने रिपोर्ट पढ़ी हुई है। उसमें मैं पैरा फ्रेज नहीं करना चाहता कि उन्होंने किस तरह से, किस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है। मेनली तो रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने फूड मिनिस्टर पर ही डाली थी। अब कल्पनाथ जी इस्तीफा दे चुके हैं और मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: गवर्नमेंट तो एक कंटीनुइटी होती है?

श्री अजीत सिंह: अगर आप चाहते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए ...(व्यवधान)...

SHRI VIREN J. SHAH: Is that adequate? That is the point. If you don't mind, there was a point. I am sure that you are going to mention about the professional incompetence at a very high level as you mentioned about the STC.

I also raised a matter on the 19th December, 1994 that the hon. Prime Minister had twice said "Within a week I will take a decision and this is my commitment." He repeated the words "This is my commitment. What kind of decision has been taken after 26th of December after celebrating the Christmas?

श्री अजीत सिंह: कल्पनाथ राय जी तो जा चुके जिनके ऊपर ही मेन रिस्पांसिबिलिटी थी। दूसरी जो उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी डाली है, उसके बारे में मैं बता दूं। उन्होंने कहा था कि एस०टी०सी० का रोल बहुत क्लिअर नहीं था।

They were reluctant. They said that basically they were reluctant to take a decision.

और उसके कारण भी रिपोर्ट में दिए हुए हैं — कौन लॉस को बियर करेगा? ओ०जी०एल० में ऑलरेडी शुगर डाली जा चुकी थी। एस०टी०सी० के पास शुगर को भंडारण करने और डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाएं नहीं हैं तो इस कारण उन्होंने शुगर इम्पोर्ट नहीं की। "एट मोस्ट' यही कहा जा सकता है कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव मिस-जजमेंट था।

We don't think any further action is called for.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): Was there a loss of time Mr. Minister in taking the decision? If there was at what point of administration at what level of administration was the time lost?

श्री अजीत सिंह: यह रिपोर्ट में सब दिया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त: वह हम जानते हैं। हमने पढ़ी है रिपोर्ट।

श्री अजीत सिंह: मीटिंग हुई, मीटिंग में डिले हुई ...(व्यवधान)...

श्री सिकन्दर बख्त: किस चीज की, कौन सी मीटिंग, किसी का तो नाम लीजिए?

श्री अजीत सिंह: निर्णय ठीक से कम्युनिकेट नहीं किए गए। जिस तरह से एस०टी०सी० को इस में इनटरेस्ट लेना चाहिए था, नहीं लिया गया।

श्री सिकन्दर बख्त: आप कह रहे थे कि क्या चाहते हैं मिनिस्टर के इस्तीफा देने के बाद, मैं जानना चाहता हूं कि सी०सी०पी० के लेवल पर किले की सजा किसको मिलनी चाहिए।

श्री अजीत सिंह: जैसाकि मैंने कहा, जिनको मेन रिस्पांसिबिलिटी दी गयी थी, उनको सजा मिल चुकी है, अब आप और सजा देना चाहते हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सवाल यह है कि एक तो मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी थी, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की?

श्री अजीत सिंह: बेसिकली उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन नहीं था।

डा० मुरली मनोहर जोशी: वह जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी रिस्पांसिबिलिटी तो होगी ही नहीं?

श्री अजीत सिंह: हम एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जिन्होंने अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं किया और मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

आफ्टरआल उससे नुकसान तो हुआ, चाहे 42 करोड़ का हुआ या 150 करोड़ का हुआ।

श्री अजीत सिंह: और जो प्रधानमंत्री जी के आश्वासन की बात कर रहे हैं। ....(व्यवधान).

डा० मुरली मनोहर जोशी: इसको भी तो बताइए कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है?

श्री अजीत सिंह: पूरी रिपोर्ट देखने के बाद इसमें बहुत से कारण हैं, लेकिन फाइनली जिन्होंने जो रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की है, अगर आप कहेंगे हर स्टेप पर उसमें क्या एक्शन लिया तो उसके लिए तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव इन्कवायरी थी और उन्होंने कारण दिए हैं। उसके बारे में जो फॉलोअप किया जा सकता था, इस इन्कवायरी के आधार पर किया जा चुका है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: क्या किया जा चुका है?

श्री अजीत सिंह: जैसा मैंने कहा, कोआर्डिनेशन के बारे में। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pandicherry): Sir, this is half-an-hour discussion. The Minister has to answer briefly. They have also to make their points briefly. (*Interruption*) As a Member I have a right to say. Mr. Viren Shah, do not direct me to go there. I have a right to say it to the hon. Vice-Chairman. This is a half-an-hour discussion. The Minister is answering very successfully.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr.Vice-Chairman, Sir, even though it is a half-an-hour discussion, according to Kaul and Shakdher, we can extend it even beyond half-an-hour.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is for the Chairman to decide. Members cannot. Members have no right to extend it

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY: You have also to direct this to the Chair.

SHRI VIREN J. SHAH: If Mr. Narayanasamy had not interrupted, the Minister would have completed by now.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): देखिए, डिस्कशन जो है 5.20 बजे प्रारंभ हुआ था। मैंने सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि हम कोशिश करें कि जो समयावधि इसके लिए तय की गई है, उसमें यह समाप्त हो जाए। चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी हो गई, लेकिन फिर भी मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जल्दी ही इसे समाप्त करें।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I am quoting from Kaul and Shakdher, about the extension of the time of half-an-hour discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): There is no need. I am asking the Minister to continue.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Only one minute, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I have read the rules of half-an-hour discussion. There is no need.

श्री अजीत सिंह: तो मैं जोशी साहब के सवाल पर आता हूं, जो पी०डी०एस० और फूड कारपोरेशन के बारे में उन्होंने उठाया। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का चार्टर यह है कि जितना भी अनाज उनको आफर किया जाए, वह सपोर्ट प्राइस पर लिया जाए। साथ ही पी०डी०एस० को कम दाम पर, जो गरीब लोग हैं उनको एफोर्डेबल प्राइस पर गल्ला दिया जाए। जो उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी कोस्ट है स्टोरेज वगैरह की, आप तो जानते हैं कि अनाजों की जो प्रोडक्शन है वह कुछेक एरिया में है और उसे हम डिस्ट्रिब्यूट करते हैं नार्थ ईस्ट से लेकर साऊथ तक। इसलिए स्टोरेज कोस्ट और डिस्ट्रिब्यूशन कोस्ट आपको शायद ज्यादा लगती होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि गरीबों को उचित दाम पर अनाज मिल सके और इसलिए हम वह कोस्ट उठाने को तैयार है। एफ०सी०आई० का परपज कोई कामर्शियल नहीं है, यह कामर्शियल आर्गेनाइजेशन नहीं है। हम बफर स्टाक रखते हैं। जितना बफर स्टाक हमारा पी०डी०एस० की सप्लाई का एक साल का होना चाहिए, उससे आज दुगना है। उसके जो फाइनेन्स चार्ज है और स्टोरेज चार्ज है वह सबसिडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फूड सिक्योरिटी रखने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह का बफर स्टाक रखे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: स्टाक रखें आप, लेकिन इस तरह से रखें कि उसकी कोस्ट हेंडलिंग हों। यह एग्जोरबिटेंट कोस्ट है।

श्री अजीत सिंह: एग्जोरबिटेंट कोस्ट नहीं है। अगर आप देखें, जितनी हमारी एकोनोमी कोस्ट है। इसमें 67 परसेंट अनाज का दाम है, फिर फाइनेन्स चार्ज 11 परसेंट, 8 परसेंट ...(व्यवधान)....

डा० मुरली मनोहर जोशी: वही मैं कह रहा हूं कि इसी को घटाने की जरूरत है।

श्री अजीत सिंह: देखिए, चार्जेज हम नहीं घटा सकते।

डा० मुरली मनोहर जोशी: लेकिन आप मिसहेंडलिंग के चार्जेज घटा सकते हैं।

श्री अजीत सिंह: जो भी सुझाव आते हैं, हम उनके प्रति प्रयत्नशील रहते है। आप जो सुझाव देंगे, उन पर भी हम विचार करेंगे। हम स्वागत करेंगे, अगर आप कोई और डिटेल में बताएंगे तो।

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Minister, you could not respond to the first point, that is, the Prime Minister's commitment; and the second point was regarding implementation of recommendations of the Gian Prakash Committee and the Cabinet Secretary's report of the 31st December, 1994 because of Mr. Narayanasamy's interruption. Will you respond to these points?

श्री अजीत सिंह: इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि किस तरह से फोरकॉस्टिंग साइंटिफिक दी जाए, इंटीग्रेटिड पॉलिसी के बारे में क्या किया जाए, ओ०जी०एल० मे शूगर रखी जाए, इसका मैं उत्तर दे चुका हूं। जहा तक प्रधान मंत्री के ...(व्यवधान)..

श्री वीरेन जे०शाह: नहीं तो फिर केबिनेट सेक्रेटेरिएट ने क्या देखा दो महीने?

श्री अजीत सिंह: उन लोगों ने इस बारे में हरेक प्वांइट पर अपनी रिपोर्ट दी है—बफर रखा जाए या न रखा जाए, ओ०जी०एल० के बारे में क्या करना है, लाइसैंसिंग के बारे में क्या करना है, डयूअल प्राइसिज़ के बारे में क्या करना है? इन सबके बारे में, इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन्स थीं, उनकी राय रखी है और अभी केबिनेट को इस पर निर्णय लेना है क्योंकि लाइसैंसिंग और डि-लाइसैंसिंग एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें सब तरह के आरग्यूमेंट है। इसलिए हो सकता है कि आपको इसमें लग रहा हो कि देर हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि सोच-समझकर निर्णय लें जिससे कि फिर आप भी उससे एग्री करें।

प्राइम मिनिस्टर का आप कह रहे है कि 26 दिसम्बर को उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया। ..(व्यवधान)...

श्री वीरेन जे० शाह: 19 दिसम्बर को दिया।

श्री अजीत सिंह: जैसा मैंने कहा कि जो निर्णय उसमें उनको लेना था, ...(व्यवधान)... जो कारण दोषी पाए गए थे, उस पर तो सब निर्णय हो चुका है, हो सकता है कि एक हफ्ते में न हुआ हो, लेकिन निर्णय तो हो चुका है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): श्री ईश दत्त यादव।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय डा० मुरली मनोहर जोशी और श्री वीरेन जे० शाह ने इस विषय पर बहुत

विद्वतापूर्ण तरीके से अपने विचार रखे हैं और माननीय मंत्री जी ने भी सरकार की कमजोरियों को छिपाने का और मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी विचार यह है कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे की सुध ली जाए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा और आपकी ज्यो ही आज्ञा होगी, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, गत् वर्ष चीनी का संकट आया, महंगी चीनी मंगानी पड़ी, देशवासियों को महंगी चीनी मिली, दोनों सदनों में और पूरे देश में शोर हुआ। प्रधान मंत्री कार्यालय के एक मंत्री जी ने लोक सभा में बयान दिया। एक निहायत योग्य और ईमानदार मंत्री, जो इस सदन के सदस्य थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और प्रधान मंत्री जी और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के बहुत आग्रह के बाद भी उन्होंने अपना त्याग पत्र वापिस नहीं लिया, यद्यपि सभी लोग उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं मानते थे। लेकिन एक मंत्री जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी इस घोटाले की, बहुत प्रयास के बाद और प्रधान मंत्री की घुड़की-धमकी के बाद जबर्दस्ती उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। यह सब घटनाक्रम हुआ। अब जो वर्तमान खाद्य मंत्री है, माननीय अजीत सिंह जी, ये कह रहे हैं कि अब भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा और ये प्रयास भी कर रहे हैं कि देशवासियों को अब पूर्व की भांति महंगी चीनी न लेनी पड़े। लेकिन एक बात इन्होंने कही है कि ज्यों ही हमारे इरादे का पता चल जाता है, जहां से हम चीनी लेने वाले होते हैं, तो चीनी आटोमेटिकली महंगी हो जाती है और हमें महंगाई का और संकट का सामना करना पड़ता है। तो मैं बहुत विस्तार में न जाकर मंत्री जी से और उनके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं और हमारे मंत्री जी, खाद्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के है, गन्ना उत्पादन करने वाले प्रदेश से हैं और इनका जिला हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अच्छे जिलों में से है जहां गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन चीनी का जो संकट पैदा होता है, हमें आयात करने की जो आवश्यकता पड़ती है, मेरी राय में, मेरी समझ में इसके दो मुख्य कारण हैं। कारण तो अनेक हो सकते हैं लेकिन दो मुख्य कारण हैं। माननीय खाद्य मंत्री जी और सरकार इसको गंभीरता से ले तो पिछले प्रकरण की पुनरावृत्ति होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान्यवर, अपनी दो बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक तो गन्ने का उत्पादन इस देश में बढ़ाने की जरूरत है और सरकार चाहे तो गन्ने का उत्पादन बढ़ सकता है। आज देश का किसान और हम विशेषकर उत्तर प्रदेश के किसान को कहेंगे जहां के बारे में हमें व्यक्तिगत जानकारी है कि चीनी मिलों के रवैये से वह हतोत्साहित हो रहे हैं। जो किसान गन्ना उत्पादन कर रहे हैं चीनी मिलें उसके गन्ने को क्रय नहीं कर रहे हैं। चीनी मिलों के गेट पर हफ्तों-हफ्तों किसान को अपनी गाड़ी, ट्रक और ट्रेक्टर लगाए रखना पड़ता है और तब कहीं मुसीबत झेलने के बाद उसके गन्ने को परचेज किया जाता है। अगर उसका गन्ना परचेस कर भी लिया गया तो उसके पैसे का भुगतान नहीं होता है। डा० मनोहर जोशी को मैं बहुत सम्मान देता हूं। मैं इनके साथ वर्षों एमरजेंसी के दौरान नैनी सेंट्रल जेल में था। इसको अन्यथा नहीं समझेंगे, क्षमा करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): जब चीनी ज्यादा बनती थी।

श्री ईश दत्त यादव: चुप रहो। जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो देवरिया जिले में रामकोला चीनी मिल मालिकों ने किसानों के पैसे का भुगतान नहीं किया। **(समय की घंटी)**- मैं सवाल पूछ रहा हूं। नतीजा यह हुआ कि किसानों ने जब मिल पर धरना दिया तो इनकी सरकार ने गोली चलवाई, जिसमें दो किसान जान से मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। माननीय खाद्य मंत्री जी, मैं कारण बतला रहा था कि अब किसान हतोत्साहित हो रहा है गन्ने के उत्पादन के लिए। क्योंकि उसका गन्ना क्रय नहीं हो पा रहा है।

दूसरा प्रश्न, मैं आपसे कर रहा हूं और आपको सुझाव भी दे रहा हूं और आपसे प्रार्थना भी कर रहा हूं। आपके हाथ में वह अधिकार आ गया है चीनी मिलों का लाइसेंस देने के लिए एक मंत्री जो मेरे दोस्त थे, मेरे जिले के ही थे, वह फ्राड करते-करते चले गए। सब जगह कहते थे कि हम जहां पहुंच गए भाषण देने, बोलते थे कि कल से यहां चीनी मिल चालू हो जाएगी। वह जिस जिले में रहने वाले हैं उस जिले में चीनी मिल का लाइसेंस नहीं दे सके। माननीय खाद्य मंत्री जी, आप अतरौली भी गए हैं और अतरौली चीनी मिल का प्रकरण आपके सामने होगा। वहां चीनी मिल का लाइसेंस नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि आपके सामने चीनी मिलों के लाइसेंस के जितने विचाराधीन मामले हैं, आप चीनी मिल लगवाएं। अगर किसानों को सहूलियत दी जाएं, उनको भुगतान किया जाए तो इस तरह की यह गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि आप किसान नेता हैं, आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। **(समय की घंटी)**

मेरी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को हमारे माननीय सदस्यों ने पूरा कर दिया है। मैं केवल आपसे यह जानना चाहता था कि जब ज्ञान प्रकाश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे

दी और यह रिपोर्ट आ गई तो इस रिपोर्ट को अब लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। जिनके ऊपर जिम्मेदार है, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करके उनके खिलाफ कार्यवाई करने की सरकार को आवश्यकता है। चीनी के आने में या चीनी का जो अभाव हो जाता है, महंगी हो जाती है, उसके बारे में रिपोर्ट में जो सजेशंस हैं, मैं चाहूंगा कि उनको आप पूरा करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ज्ञान प्रकाश कमेटी ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में, संस्तुति में कहा है, उसकी आप स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि वह कहां तक पूरी होने वाली है। आपने कहा कि कल्पनाथ राय जी तो चले गये, मैं ऐसा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। कल्पनाथ राय जी गए नहीं हैं, अभी आपकी पार्टी में पड़े हुए हैं और मुझे खतरा नजर आ रहा है जिस तरह का उनका प्रयास चल रहा है, कहीं वह फिर आपके मंत्रिमंडल में वापिस न आ जाएं? मुझे यह खतरा नजर आ रहा है।

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): इसका आश्वासन कैसे दे सकते हैं?

श्री ईश दत्त यादव: नहीं, मैं इसका आश्वासन नहीं चाहता हूं। लेकिन ज्ञान प्रकाश आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग जिम्मेदार हैं, मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट रूप से इस सदन के अंदर घोषणा करें, क्योंकि आप केबिनेट के मेंबर हैं। केबिनेट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप घोषणा करें कि वे सारी की सारी संस्तुतियां लागू की जाएंगी ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। मान्यवर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी: मान्यवर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है, क्योंकि यह आधे घंटे की चर्चा थी और आपने इसका समय बढ़ा दिया, ठीक है किंतु मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सात बजे आज रबिन्द्र नाथ टैगोर जी के संबंध में एक जलसा भी होना है और हम लोगों को वहां जाना है अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चर्चा का सारांश करते हुए हमें जाने की अनुमति दें।

†[شری سید سبط رضی: مانیئے ور۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپکی ویوستھا تو شرودھاریہ ہے۔ کیونکہ یہ آدھے گھنٹے کی چرچا تھی اور آپ نے اسکا سمے بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے کنتو میں آپ سے یہ کہنا چاہونگا۔ کہ سات بجے آج ربندر ناتھ ٹیگور جی کے سمبندھ میں ایک جلسہ بھی ہونا ہے اور ہم لوگوں کو وہاں جانا ہے۔ اتہ میں آپ سے انورودھ کرونگا کہ کرپیا اس چرچا کا سارانش کرتے ہوئے ہمیں جانے کی انومتی دیں۔]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I request Mr. Virumbi to be very brief.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I always abide by the decision of the Chair.

Mr. Vice-Chairman, first of all, I thank you for having agreed to take up the Half-an-Hour Discussion. You know very well, Sir, that during the last year the decision regarding the import of sugar was not taken at an appropriate time. "Where is the mistake?" they said. That fact is that the Special Action Committee was chaired by the Secretary to the P.M. Despite that, the decision was not taken, and in-between when the private people came to know that there was scarcity of sugar in India, they imported suagar, but they had not shown the prices at which they had actually purchased it. They had adopted the method of overinvoicing or underinvoicing. When the scarcity of sugar arose in the market, the Sugar Manufacturers' Association a challenge to the Government at that time through a press report that they were ready to supply to the PDS the entire quantity which they had imported from abroad while they could not part with one kg. of sugar from free sale quota. What does it mean? The Sugar Manufacturers' Association said that they would

†Transliteration in Arabic Script

not part with even one kg. of sugar of free sale quota but, at the same time, they were prepared to supply the entire quantity of sugar which they had imported from abrod. That clearly shows that in case they supply it from the free sale quota, they may not get profit. And the other thing they said was, "We will give it to the Government on cost-to cost basis." When you go through the press reports, you will find that they are really nationalists but they have already overinvoiced and they want to pocket the difference. Whether it is the Food Corporation of India or the Food Supply Department or the State Trading Corporation who had to import, a confusion is created first by the Government. Number two, after that who will reimburse the subsidy amount? Regarding that when the STC raised a question, they were not able to get the reply from the Government side. They could not get the reply at the proper time. When it was so, it was only due to the delay with a clear understanding. It was an unwarranted delay, maybe, because of increase in their price. Sir, I do not want to go into that in depth, but now after having said all these things, I would like to quote from the Prime Minister's speech on 28th April, while replying to the President's Address in this august House:

> "This year, I am told that the production of sugar has beaten all previous records. Last year, we had a lot of difficulties with sugar; import and then irregularities in import and all kinds of things."

That means, the Prime Minister of India has accepted that irregularities have taken place..... (*Interruptions*).... Mr. Narayanasamy, just go through what the Prime Minister told this august House, Have you gone through what the hon. Minister has said just now? "There is no *mala fide* in it." The Gian Prakash Committee Report is based or certain terms of reference. He cannot go beyond the terms of reference. You have to go through the terms of reference. Within the parameters he has to submit his report.

That is not a commission of inquiry. Therefore, within the terms of reference he has given it. Based on that report we cannot absolve anybody saying that nobody has done anything.

Then, Sir, the House had, this time last year, a full debate on sugar. This year also at the same time we are debating what we are going to do with the surplus stock. From the arguments what I can infer is that not only is there sufficient quantity of sugar but also abundant quantity of sugar is available within India. When it is so, when we have go abundant quantity of sugar, why has the price not come down? This is my question. The prevailing market rate is between Rs. 16 and Rs. 18. Why? When abundant quantity of sugar is available in India, automatically the difference between the PDS price and the market price should be less. But it is not so. The replies given to Question Nos. 281 and 291 are like this. In the reply given to Question No. 281 it is stated:

> "The Government have taken/initiated the following measures in order to give a boost to the sugar production and ensure its adequate availability to the consumers: ....
>
> (vi) Restrictions have been placed on sugar dealers regarding stockholding limits, turn-over period, sale by one wholesaler to another, etc., to ensure that there is no hoarding of sugar by trade."

If this had been implemented, prices would have come down. That the prices had not come down, though the production was abundant, clearly shows that hoarding had already taken place. When sugar hoarding was there, there was no monitoring agency. When there was no monitoring agency, the Cabinet had to look after. When the Cabinet had

not taken any action, it had to go. There is no moral right for this Government to continue. It has no moral right. Why should we have such a Government? Because the President cannot dismiss the Central Government it is like that. (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Viduthalai Virumbi, please conclude.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He has actually made an observation. I have only replied to that. This is what I want to know. What action are you going to take to reduce the price? What action are you going to take to dehoard sugar from the sugar barons? Thank you.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I don't want to speak on other aspects but on the handling and storing expenses incurred by the FCI on a quintal of foodgrains. I rememoer that when I was the Minister of Civil Supplies in the Maharashtra Government, the Marketing Federation was the agent of the Government. They were collecting the foodgrains from the farmers, bringing them to the Government goodowns and quoting the rates. At that time, if I remember correctly, we had been paying Rs. 18 per quintal including the cost of *bardan*. Rupees seven or nine were only paid for expenses. The break-up of all the expenses was given. I would request the Minister that a scientific study of the expenses incurred by the Food Corporaton of India on different items for collecting, storing, cartage, etc., should be done. I do feel personally that Rs. 180/- per quintal is too high. From my experience I feel it is time to do such a study because we cannot bear such a high subsidy as Rs. 5,200 crores which is provided in the Budget. It may go up. That is my worry. I would request that a scientific study should be done to find out what the cost of handling, storing, cartage, transport, etc., is. It can be reduced. I am sure Mr. Ajit Singh will personally take up the matter and a study will be done to see whether the expenses are proper or not. If it is not proper, we should make it so wherever we can. If that is done, the people, especially the consumers, will be benefited. I don't want to go into the other aspects. I think a study should be undertaken.

श्री अजीत सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चीनी के रिटेल प्राइस के अक्तूबर से अप्रैल तक के मेरे पास आंकड़े हैं। दिल्ली में अक्तूबर मास में चीनी 14.25 रुपये से 15 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अब 13 रुपये से 13.25 पैसे है। यही दाम मार्च में था, फरवरी में यही था, जनवरी में भी यही था। इसलिए यह कहना कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। बम्बई में अगर आप देखें तो इस समय चीनी 12 रुपये से ले कर 13 रुपये प्रति किलोग्राम है। पिछले महीने 13 रुपये थी तथा उसके पहले 13 से 14 रुपये थी। चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें फारमर, इंडस्ट्री और कंज्यूमर तीनों क्लोज़ली इंटरलिंक्ड हैं। अभी यादव जी ने सवाल उठाया था कि प्रोडक्शन कम या ज्यादा क्यों होता है। इस में एक तो प्राकृतिक कारण है। कई बार जैसे लास्ट ईयर महाराष्ट्र में बारिश न होने की वजह से गन्ना कम हुआ। दूसरा कारण जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि गन्ना किसान को यदि गन्ने का उचित दाम नहीं मिलेगा तो वह दूसरी फसल में चला जाएगा। एरियर्ज़ की समस्या भी उठाई गई है। मैं ईश दत्त यादव जी से कहना चाहूंगा कि मैंने प्रदेश के सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि एरियर्ज़ जल्दी पे करें। उनके मुख्य मंत्री को भी लिखा है। मैं आशा करता हूं कि एरियर्ज़ का पेमेंट जल्दी करेंगे। (व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी: आपके लिखने के बाद भुगतान शुरू हुआ या नहीं? (व्यवधान)

श्री अजीत सिंह: ईश दत्त यादव जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा यह कानून है कि 14 दिन से ज्यादा पेमेंट रोकने पर उनको इंट्रेस्ट भी दिया जाए। यह प्रदेश सरकार के हाथ में है। मेरे ख्याल से जो सुझाव देसाई जी ने दिये हैं, जोशी साहब ने भी सुझाव दिये हैं, हम प्रयासरत हैं और उनके सुझावों को हम वेलकम करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I adjourn the House till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-two minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 10th May, 1995.